IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(प्रशासन अनुभाग)

104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानक: पथप्रदर्शक
Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्र सं0– 641 /प्रशा0–एक– दिनांकः– 07-07-2017

कार्यालय आदेश

प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–386/चौतीस–लो0शि0–5/2017 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा जन शिकायतों के विभिन्न स्तरों पर निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया हैं कि जन शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता के परिक्षण के दौरान यह दृष्टिगत हुआ है कि कतिपय प्रकरणों में शिकायतकर्ता द्वारा जिस अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की जाती है, अग्रसारणकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच हेतु आरोपी अधिकारी को ही उक्त शिकायत पृष्ठांकित कर दी जाती है। यह स्वाभाविक है कि आरोपी अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच उसी अधिकारी से कराये जाने से शिकायत के सम्बन्ध में सही तथ्य ज्ञात हो पाना एवं समुचित निराकरण संभव नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि जन शिकायतों के निस्तारण हेतु अग्रसारित करते समय उपरोक्त तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में शिकायती प्रार्थना–पत्र जाँच हेतु ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को पृष्ठांकित न किया जाय, जिनके सम्बन्ध में शिकायत की गयी हो।

उपरोक्त से सम्वन्धित प्रकरण के निस्तारण में गुणवत्ता पूर्वक तथा ससमय हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जायगा।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(धीरज साहू)
आवास आयुक्त

पृ0सं0– 641 /उक्त/ /दिनांकः– 07-07-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
2. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबंधक।
3. वित्त नियंत्रक/वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी/
4. मुख्य वास्तुविद नियोजक/ निदेशक ग्लोबल सेल।
5. अपर आवास आयुक्त/अपर निबंधक।
6. मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।
7. अध्यक्ष(म0)/आवास आयुक्त(म0)/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव/आशुलिपिक।

आवास आयुक्त